न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी, सी.आर. मीना आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 48/2018/अपील

जीवण राम पुत्र नानुराम, जाति जाट, निवासी ग्राम कटराथल, तहसील व जिला सीकर।

अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार, तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः—

1. श्री नानूराम बुरानियां अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल. आर. एक्ट
विरूद्व निर्णय दिनांक 21.05.2018 द्वारा तहसीलदार, सीकर

निर्णय

दिनांकः 30 जुलाई, 2019

1. अपीलान्ट ने अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है किः—

(1) अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सीकर ने ग्राम कटराथल के खसरा नम्बर 2100/1858 बंजड़ जोहड़ भूमि पर बिना किसी अनुमति के पक्का निर्माण दुकान बनाकर इसको विस्तार देना जारी रखा है। दिनांक 21.10.2016 को ग्रामवासी द्वारा दूरभाष पर सूचना मिलने पर मौका देखा गया व निर्माण कार्य करते हुए पाये एवं हल्का पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक कटराथल द्वारा मना करने के बावजूद निर्माण कार्य किया है। अतः पत्रावली पेशी में लिए जाने हेतु दिनांक 24.10.2016 को समय 9:30 बजे सुबह निर्धारित की जाती है, का नोटिस देने से पूर्व ही दिनांक 22.10.2016 को अचानक ही अपीलांट के पट्टेशुदा परिसर को कुर्क कर दिया। जिसके विरूद्व न्यायालय हाजा में अपील संख्या 45/2016 प्रस्तुत की, जिस पर निर्णय दिनांक 16.10.2017 को अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार सीकर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सन्दर्भित भूमि दस्तावेजों का पुनरावलोकन कर पुनः अपना विधि सम्मत निर्णय पारित करें। जिस पर अधीनस्थ तहसीलदार सीकर ने आदेश दिनांक 21.05.2018 को अपीलान्ट को 30 वर्गमीटर भूमि पर पक्का निर्माण दुकान करने पर अतिक्रमी घोषित कर पक्का निर्माण तोड़कर

जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

बेदखल करने का निर्णय पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट इस अपील के माध्यम से इस न्यायालय में आया है।

(2) न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 16.06.1966 के द्वारा ग्राम कटराथल तहसील व जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 568, 569, 619 व 581 में से 15 बीघा पुख्ता भूमि आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत कटराथल को आवंटित की थी। खसरा नम्बर 568 में 10 बीघा भूमि आवंटित की गई थी। हल्का पटवारी द्वारा पैमाईस करके सरपंच ग्राम पंचायत कटराथल को बता दी तथा नक्शें में तरमीम कर भूमि ग्राम पंचायत को सम्भला दी थी। अपीलान्ट की भूमि उक्त आवंटित भूमि में है, जो आबादी में है।

(3) उक्त भूमि का ग्राम पंचायत कटराथल द्वारा दिनांक 21.09.1981 को पट्टा संख्या 3 अपीलान्ट के पक्ष में जारी किया गया था। हल्का पटवारी ने सन् 1990 में अपीलान्ट के विरूद्व 91 एल.आर. एक्ट की कार्यवाही प्रारम्भ की थी, जिसका समुचित जवाब एवं पट्टा दिनांकित 21.09.1981 पट्टा संख्या 3 की प्रति प्रस्तुत किये जाने एवं बाद जांच उक्त भूमि आवंटित आबादी भूमि पाये जाने पर तहसीलदार सीकर के द्वारा दिनांक 19.02.1990 को कार्यवाही ड्रॉप की गई थी। उक्त पट्टे की नकल तत्कालीन समय में चली पत्रावली में प्रस्तुत किया गया था, जिसका हवाला भी निर्णय में है, लेकिन तहसीलदार सीकर ने तत्कालीन समय में किये गये निर्णय को बिना किसी आधार के ही गलत बताया है जबकि वो निर्णय अधीनस्थ तहसीलदार के लिये बाध्यकारी हैं। उनके रहते हुए पुनः अपीलान्ट के विरूद्व कानूनन बेदखली की कार्यवाही नहीं की जा सकती। यदि वो निर्णय गलत थे तो उसके विरूद्व अपर न्यायालयों में उनको अपास्त करने की चाराजोही करनी चाहिए थी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बेदखल करने का, कानून से बाहर जाकर निर्णय दिया है।

(4) उपरोक्त प्रकरण में पूर्व तारीख पेशी दिनांक 20.10.2016 नियत थी, उसके बाद पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.11.2016 नियत कर दी। इसके बाद अपने आप ही दिनांक 22.10.2016 को बिना पत्रवली में कुर्क करने के आदेश बिना अपीलान्ट के परिसर को एकाएक ही कुर्क कर दिया। जब अपीलान्ट दिनांक 22.10.2016 को तहसील में आया तो बैकडेट में ही नोटिस पर हस्ताक्षर करवा लिए दिनांक 24.10.2016 को नियत पेशी पर अपीलान्ट ने जवाब प्रस्तुत कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सुने ही दिनांक 25.10.2016 को बेदखली करके एवं जुर्माना राशि 2/– रूपये से दण्डित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने द्वारा किये गये गलत फैसले को जस्टीफाई करनें के लिए समस्त बाध्यकारी कानूनी प्रावधानों की अनदेखी कर गलत निर्णय पारित किया है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

(5) अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय अनुसार नामान्तरकरण संख्या 627 दिनांक 30.10.1977 के द्वारा खसरा नम्बर 568 में से 7 बीघा 16 बिस्वा एवं नामान्तरकरण संख्या 630 दिनांक 15.01.1977 के द्वारा खसरा नम्बर 568 में से 7 बीघा गैर मुमकिन आबादी होना स्वयं माना है, लेकिन इसके बावजूद भी बिन्दू संख्या 1 का निर्णय अपीलान्ट के विरूद्व किया गया, जो गलत निर्णय है।

(6) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही नामान्तरकरण संख्या 627, 630 का हवाला दिया है, जिससे स्पष्ट होता है कि खसरा नम्बर 568 की भूमि का ग्राम पंचायत को आवंटन होना स्वयं ने माना है लेकिन फिर भी गलत निर्णय निर्णय पारित कर दिया गया।

(7) अपीलान्ट ने ग्राम पंचायत से नियमानुसार न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 21.09.1981 के अनुसार पट्टा संख्या 3 जारी करवाया है, जो आबादी भूमि में है। नये सेटलमेंट में नक्शें की तरमीम एवं मिलान क्षैत्रफल सही नहीं बना। स्वयं अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तकरण संख्या 358 दिनांक 358 दिनांक 30.10.1971 द्वारा खसरा नम्बर 568 में से 2 बिस्वा भूमि रामकुमार पुत्र जैसाराम के नाम से आवंटन होना माना है, जिसके पुराने खसरा नम्बर 568/3 रकबा 2 बीघा की 253 वर्गमीटर होती है, उसके स्थान पर 632 मीटर भूमि दी है अर्थात 6 बिस्वा भूमि जैसाराम पुत्र हनुताराम को नामान्तरकरण संख्या 654 दिनांक 11.09.1977 को आवंटन की थी, जिसका नया खसरा नम्बर 1000 रकबा 0.16 हैक्टेयर कर रखा है। जबकि 6 बिस्वा का हैक्टेयर पैमाने के अनुसार 0.0759 हैक्टेयर ही होना चाहिए अर्थात 0.0841 हैक्टेयर ज्यादा दे दी।

(8) अपीलान्ट का कब्जा और स्वामित्व का उसके पास दस्तावेज है। ऐसी सूरत में अधीनस्थ न्यायालय को धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत समरी कार्यवाही के जरिये बेदखली का अधिकारी नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान राज्य बनाम श्रीमती पदमावती आर.एल डब्ल्यू 1995 (1) सुप्रीम कोर्ट पेज नम्बर 117 में अपने निर्णय मे ऐसा ही सिद्वान्त पारित किया है। समस्त निर्णय जो माननीय राजस्व मण्डल अजमेर, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हैं, जो समस्त न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं।

(9) न्यायालय हाजा द्वारा तहसीलदार सीकर से दिनांक 12.06.2017 को मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट करवाई गई थी, जिस पर तहसीलदार सीकर ने रिपोर्ट दी कि उक्त दुकाने सड़क सीमा में बना हुई है। इसे अतिक्रमण स्थान से चिपती हुई एक छोटी दुकान स्थित है तथा पूर्वी ओर स्थित है तथा पश्चिमी ओर ऐ लकड़ीनुमा दुकान स्थित है। उक्त तीनों ही दुकानें सड़क सीमा के अन्तर्गत आती हैं तथा एक ओर दूकानों का खसरा नम्बर 2011/1859 बंजड़ जोहड़ भूमि में आना बताया है, जिसकी

जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

खातेदारी नगर सुधार न्यास के नाम से है। यदि अपीलान्ट का कब्जा सड़क सीमा में है तो पी.डब्ल्यु.डी. की कार्यवाही पर ही बेदखल किया जा सकता है एवं यदि अपीलान्ट का कब्जा नगर सुधार न्यास की जमीन मे माना जाता है तो भी नगर सुधार न्यास ही बेदखल करने में सक्षम है। इसलिए धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही का अधिकार नहीं है।

(10) अपीलान्ट के पास वैध रूप से पट्टा जारी करन के लिए अधिकृत ग्राम पंचायत कटराथल का जारी किया हुआ पट्टा है। वह पट्टा वैध है अथवा त्रुटिवश है, जैसी भी स्थिति हो, अपीलान्ट अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आता। माननीय उच्च न्यायालय ने आर.एल.डब्ल्यु. 2006 (1) पेज 178 में ऐसा ही सिद्वान्त प्रतिपादित किया है साथ ही 2002 आर.आर.डी. पेज 583 मे राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने व 2003 आर.आर.डी. पेज 441 व 2005 आर.आर.डी. पेज 231 व 1974 आर.आर.डी. पेज 443 मे भी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने भी ऐसा ही सिद्वान्त प्रतिपादित किया है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.05.2018 को अपास्त फरमाया जावे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार सीकर स्वयं उपस्थित आये।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. अपीलान्ट के योग्य अभिभाषक ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि जिला कलक्टर सीकर के आदेश दिनांक 16.06.1966 के द्वारा ग्राम कटराथल तहसील व जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 568, 569, 619 व 581 में से 15 बीघा पुख्ता भूमि आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत कटराथल को आवंटित होने पर खसरा नम्बर 568 में 10 बीघा भूमि आवंटित की गयी थी। हल्का पटवारी द्वारा पैमाइश करके सरपंच ग्राम कटराथल को नक्शे में तरमीम कर भूमि ग्राम पंचायत को सम्भला दी थी। अपीलांट की भूमि उक्त आवंटित भूमि में है, जो आबादी में है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने क्षैत्राधिकार के बाहर जाकर उक्त भूमि को कुर्क किया है। प्रश्नगत भूखण्ड आवंटित आबादी भूमि में है तथा उक्त तथाकथित जोहड़ भी यूआईटी के नाम से है इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय को 91 एलआर एक्ट की कार्यवाही करने का क्षैत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलांट के पक्ष में सक्षम ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया हुआ है तथा अपीलांट उसके आधार पर ही काबिज है। उक्त आराजी आवंटित आाराजी संख्या 568 का ही भाग है। माननीय राजस्व मण्डल एवं उच्च न्यायालय की वृहद पीठ द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि राजकीय भूमि पर काबिज व्यक्ति अपने कब्जे

जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

बाबत सदभावपूर्वक विवाद उठाता है वहां धारा 91 के प्रावधानों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व के निर्णयों को नहीं मानकर अवमानना की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 21.05.2018 को निरस्त फरमावे।

5. तहसीलदार सीकर ने स्वयं उपस्थित होकर अभिकथन किया कि अपीलान्ट द्वारा खसरा नम्बर 568 में 10 बीघा दिनांक 16.06.1966 को आवंटित करना बताया है, जो बिना प्रमाणित किये असत्य है। अपीलान्ट ने जो पट्टा संख्या 3 की फोटो स्टेट प्रति पेश की है तो उसे दिनांक 26.03.2000 को पट्टा किस भूमि का दिया गया। जिस भूमिका पट्टा दिया गया, वह भूमि आबादी भूमि नहीं होने से ग्राम पंचायत को पट्टा देने की अधिकारिता में नहीं आता। अतः अपनी सीमा से बाहर जाकर बंजड़ जोहड़ भूमि पर दिया गया पट्टा स्वतः शुन्य है। दिनांक 12.06.2017 को उनके द्वारा मौका निरीक्षण किया गया जिसके अनुसार ग्राम कटराथल खसरा नम्बर 2011/1859 तादादी 16.9500 हैक्टर बंजड़ जोहड़ भूमि है जिसकी खातेदारी नगर सुधार न्यास, सीकर में नाम दर्ज है। पटवारी कटराथल तहसील सीकर द्वारा खसरा नम्बर 2011/1859 रकबा 16.95 हैक्टर किस्म बंजड़ जोहड़ में कुर्क शुदा दोनों दुकानें मय बरामदा के बने हुए हैं जिनकी दूरी सड़क सीकर झुन्झुनूं राजमार्ग के मध्य से 17 मीटर है, अतः यह दुकानें सड़क सीमा में बनी हुई हैं। इसी अतिकमी स्थान से चिपती एक छोटी दुकान इससे पुर्वी ओर स्थित है तथा पश्चिमी ओर एक अस्थाई ढांचानुमा लकड़ी की दुकान स्थित है, इस ओर कोई आबादी भूमि नहीं है, तीनों ही दुकानें सड़क सीमा अन्तर्गत आती हैं। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया। अवलोकन से जाहिर है कि :–

(1) न्यायालय तत्कालीन पीठासीन अधिकारी (जिलाधीश सीकर) के आदेश दिनांक 16.06.1966 में अंकित है कि खसरा नम्बर 619, 581, 568, 569 की कुल 15 बीघा भूमि आबादी हेतु ग्राम पंचायत कटराथल को आवंटित की गई थी, जिसमें से खसरा नम्बर 568 की 10 बीघा भूमि है। तहसीलदार सीकर को निर्देश दिया गया कि वह उक्त भूमि पंचायत को सौपनें का अधिकारी है। ग्राम पंचायत को सम्पति का दर निर्धारण तथा नक्शा बनाकर तहसीलदार से अनुमोदित करवाने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही ग्राम पंचायत को यह निर्देशित भी किया गया है कि वह सीधे ही अपने अधिकार क्षैत्र द्वारा किसी व्यक्ति को बेचान कर सकती है लेकिन ऐसे व्यक्ति को नहीं जिसके पास स्वयं का मकान हो या गांव में किसी परिवार के सदस्य के रूप में नाम हो।

(2) अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर के निर्णय दिनांक 28.04.1976 में अंकित किया है खसरा नम्बर 568 में से 10 बीघा भूमि ग्राम पंचायत कटराथल को आबादी

जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

हेतु दी गई है और मोहन लाल पुत्र नानूराम जाट ने उक्त थड़ी पंचायत से इजाजत लेकर लगाई है।

(3) नायब तहसीलदार सीकर के निर्णय दिनांक 19.02.1990 के अनुसार अपीलान्ट ने पंचायत द्वारा जारी पट्टेशुदा रकबे में ही निर्माण कार्य शुरू किया है, अन्य रकबा पर नहीं। इस सूरत में अपीलान्ट के विरूद्व कार्यवाही की जानी मुनासिब नहीं है। अतः अपीलान्ट के विरूद्व कार्यवाही ड्रॉप की गई।

(4) आबादी भूमि का विक्रय विलेख ग्राम पंचायत कटराथल पंचायत समिति पिपराली सीकर के पट्टा नम्बर संख्या 3 मिसल नम्बर संख्या 3 दिनांक 21.09.1981 के अनुसार अपीलांट जीवणराम ने दिनांक 21.09.1981 को उक्त भूमि 200/–रूपये की राशि जमा करवा कर क्रय की है। जिसमें 30X33 फिट कुल 990 वर्गफीट का नजरी नक्शा भी अंकित किया गया है।

(5) आबादी भूमि का विक्रय विलेख ग्राम पंचायत कटराथल पंचायत समिति पिपराली सीकर के बुक नम्बर 1, पट्टा नम्बर संख्या 2, मिसल नम्बर संख्या 2, दिनांक 26.03.2000 के अनुसार अपीलांट जीवणराम ने दिनांक 25.05.2000 को उक्त भूमि 1050/–रूपये की राशि जमा करवा कर क्रय की है। जिसमें 30X35 वर्गफीट का नजरी नक्शा भी अंकित किया गया है। तथा ग्राम पंचायत कटराथल की बैठक दिनांक 20.11.2009 के प्रस्ताव संख्या 06 द्वारा नवीनीकरण किया गया है।

(6) अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सीकर ने निर्णय दिनांक 25.10.2016 में अंकित किया है कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में भूमि बंजड़ जोहड़ अंकित है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 अन्तर्गत जीवणराम पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी कटराथल तहसील सीकर राजस्थान द्वारा खसरा नम्बर 2011/1859 रकबा 16.95 हैक्टर में 30 वर्गमीटर भूमि पर किये गये अतिक्रमण एवं दुकान निर्माण परिसर के लिए अतिक्रमी घोषित किया जाता है, अतिक्रमी का अतिक्रमण दुकान परिसर को वर्तमान में कुर्क किया है, ताकि मौके पर निर्माण कार्य और नहीं हो। उक्त परिसर वर्तमान में कला संकाय कॉलेज कटराथल के मुख्य द्वार के बिल्कुल पास स्थित है।

(7) प्रकरण में तारीख पेशी दिनांक 15.11.2016 नियत थी। इसके पश्चात तहसीलदार सीकर द्वारा दिनांक 21.10.2016 को बिना सुनवाई किये पत्रावली में कुर्क करने के आदेश जारी कर दिये। दिनांक 24.10.2016 को अपीलांट ने जवाब प्रस्तुत कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25.10.2016 को बेदखली करके एवं जुर्माना राशि 2 रूपये से दण्डित किया है।

जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

(8) वकील अपीलान्ट द्वारा उक्त प्रकरण में न्यायिक पक्ष हेतु RRD 2003 पेज 441, RRD 1974 पेज 443, RRD 1995 (SC) स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम पदमावती आदि पेश की हैं, जिनका अवलोकन किया।

7. उपरोक्त पैरा संख्या 6 के विवेचन से ज्ञात होता है कि अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कब्जा 1976 से है, जिसका पट्टा संख्या 3 दिनांक 21.09.1981 को ग्राम पंचायत कटराथल द्वारा जारी किया गया है। वर्तमान में अपीलान्ट ने उक्त भूमि पर अपनी दुकान कर रखी है, जिसके आस–पास अन्य दुकानें भी हैं। तहसीलदार सीकर द्वारा केवल एक दुकान को अतिक्रमण मानते हुए कार्यवाही की है, जो उचित नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट **स्वीकार** की जाती है। **अधीनस्थ तहसीलदार सीकर आदेश दिनांक 21.05.2018 निरस्त** किया जाता है। तहसीलदार सीकर को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि पर, यदि प्रकरण उनके क्षेत्राधिकार में है तो सभी अतिक्रमियों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करें।

8. निर्णय आज दिनांक : **30 जुलाई, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी.आर. मीना)
जिला कलक्टर, सीकर

जिला कलक्टर, सीकर

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner